# न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा

## पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन न0 409/2018

प्रार्थी :–

लक्ष्मीनारायण पुत्र रामगोपाल जाति अग्रवाल निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा

बनाम

विप्रार्थी :–.

1. गौतमचंद पुत्र ईश्वरदास जाति औसवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा
2. पदमाराम पुत्र मगाराम जाति माली निवासी जसोल तहसील पचपदरा
3. मुल्तानमल पुत्र मगाराम जाति माली निवासी जसोल तहसील पचपदरा
4. खीमाराम पुत्र मगाराम जाति माली निवासी जसोल तहसील पचपदरा
5. लूणीदेवी पत्नी डूंगरचंद जाति माली निवासी जसोल तहसील पचपदरा
6. भरत पुत्र डूगरचंद जाति माली निवासी जसोल तहसील पचपदरा
7. कुमारी मंजू पुत्री डूंगरचंद जाति माली निवासी जसोल तहसील पचपदरा नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता लूणीदेवी पत्नी डूगरचंद जाति माली निवासी जसोल तहसील पचपदरा
8. कुमारी काजू पुत्री डूंगरचंद जाति माली निवासी जसोल तहसील पचपदरा नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता लूणीदेवी पत्नी डूगरचंद जाति माली निवासी जसोल तहसील पचपदरा
9. कुमारी भावना पुत्री डूंगरचंद जाति माली निवासी जसोल तहसील पचपदरा नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता लूणीदेवी पत्नी डूगरचंद जाति माली निवासी जसोल तहसील पचपदरा
10. कुमारी अनिता पुत्री डूंगरचंद जाति माली निवासी जसोल तहसील पचपदरा नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता लूणीदेवी पत्नी डूगरचंद जाति माली निवासी जसोल तहसील पचपदरा
11. त्रिलोकचंद पुत्र किस्तुराराम जाति कुम्हार निवासी जसोल तहसील पचपदरा
12. पुखराज पुत्र किस्तुराराम जाति कुम्हार निवासी जसोल तहसील पचपदरा
13. ओमप्रकाश पुत्र किस्तुराराम जाति कुम्हार निवासी जसोल तहसील पचपदरा
14. माणकचंद पुत्र किस्तुराराम जाति कुम्हार निवासी जसोल तहसील पचपदरा
15. द्वारकाप्रसाद पुत्र किस्तुराराम जाति कुम्हार निवासी जसोल तहसील पचपदरा
16. खमादेवी पत्नी किस्तुराराम जाति कुम्हार निवासी जसोल तहसील पचपदरा
17. कन्हैयालाल पुत्र नाथूराम जाति कुम्हार निवासी जसोल तहसील पचपदरा
18. हिमताराम पुत्र नाथूराम जाति कुम्हार निवासी जसोल तहसील पचपदरा
19. टीकमाराम पुत्र नाथूराम जाति कुम्हार निवासी जसोल तहसील पचपदरा
20. पुष्पादेवी पत्नी नाथूराम जाति कुम्हार निवासी जसोल तहसील पचपदरा
21. हरकाराम पुत्र मुल्तानमल जाति माली निवासी जसोल तहसील पचपदरा
22. पुखराज पुत्र मुल्तानमल जाति माली निवासी जसोल [illegible]
23. केशाराम पुत्र मुल्तानमल जाति माली निवासी जसोल तहसील पचपदरा
24. लिखमीचंद पुत्र मुल्तानमल जाति माली निवासी ज[illegible]
25. भरत आजाद डेवलपर्स प्रा.लि.के डायरेक्टर भरत पु[illegible] जाति अग्रवाल निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
26. कुसुम्बीदेवी पत्नी रमेश जाति प्रजापत निवासी जसोल तहसील पचपदरा
27. श्रीमति चम्पादेवी पत्नी भीमाराम जाति माली निवासी जसोल तहसील पचपदरा
28. पंकज पुत्र राजेन्द्रकुमार जाति अग्रवाल निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
29. पिस्तादेवी पत्नी शांतिलाल जाति ओसवाल निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
30. प्रहलादराम पुत्र भेराराम जाति जाट निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
31. पृथ्वीराज पुत्र भरत जाति अग्रवाल निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
32. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:45:22 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

## आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 आर.एल.आर एक्ट

उपस्थितिः–

1. श्री प्रियतम आजाद अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री चेलाराम कुमावत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1
3. श्री रामेश्वर गहलोत अधिवक्ता विप्रार्थीगण संख्या 2 ता 10
4. श्री कैलाश माहेश्वरी अधिवक्ता विप्रार्थीगण संख्या 25
5. श्री करणसिंह सोलकी अधिवक्ता विप्रार्थीगण संख्या 26 व 27
6. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता विप्रार्थीगण संख्या 29 व 30
7. श्री रमेश कच्छवाह अधिवक्ता विप्रार्थीगण संख्या 31
8. राजकीय पेरोकार तहसीलदार, पचपदरा

### 'निर्णय'

दिनांक :– 15.07.2022

उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के आदेश संख्या राजस्व/10/400 दिनांक 09.09.2010 द्वारा खसरा नम्बर 1231/306 रकबा 20–15 बीघा भूमि नक्शे में तरमीम दुरूस्ती की गई थी। जिसके विरूद्व विप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर अपील संख्या 17/2013 अनवान गौतमचंद बनाम लक्ष्मीनारायण प्रस्तुत की गई माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा उक्त अपील को दिनांक 02.02.2016 स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के आदेश दिनांक 09.09.2010 को निरस्त कर इस न्यायालय को पुनःप्रेषित कर निर्देश प्रदान किये गये कि फाईन्डिग में दिये गये तथ्यों पर विवेचन कर प्रभावित तथा सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 मे दिये गये प्रावधानों का पालन कर पुनः आदेश पारित करे।

उक्त अपील में पारित निर्णय दिनांक 02.02.2016 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष अपील एलआर/905/2016 बाड़मेर अनवान लक्ष्मीनारायण बनाम गौतमचंद प्रस्तुत की गई जिसे दिनांक 20.09.2017 को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय को पुनः प्रेषित कर निर्देश प्रदान किये गये कि नये सिरे से विवादित आराजी के संबंधी समस्त प्रभावित पक्षकारान की सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार निस्तारण करे। माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 20.09.2017 में प्रार्थी को संशोधित आवेदन पत्र करने के निर्देशों के सन्दर्भ यह संशोधित आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । प्रार्थी के संशोधित आवेदन पत्र संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के कब्जा खातेदारी की कृषि भूमि पूर्व जागीर गांव खेड़ तहसील पचपदरा की राजस्व सीमा खसरा नम्बर 1231/306 रकबा 20–15 बीघा किस्म बारानी सोयम अवस्थित है। अपने स्वाधीनम एवं स्थापित कब्जा के उक्त खेत में इस वष्र में प्रार्थी ने बाजरी मूंग, मोठ की मिश्रित फसल बोई है। जो वर्तमान में बहुत अच्छी खड़ी है एवं पकने को तैयार है, जमाबंदी खतौनी संव[illegible] साथ में प्रस्तुत की गई। उक्त सालिम आराजी तदोपरान्त इस आवेद[illegible]दर्भ में प्रश्नगत कृषि भूमि के नाम से संबोंधित की जावेगी [illegible] खातेदार टिनेन्ट होने से वर्तमान आवेदन पत्र पेश कि[illegible] पूर्वाधिकारी से सप्रतिफल की सम्पूर्ण राशि अदा कर ज[illegible]रीद कर प्राप्त कर अपना अधिकार स्वामित्व स्थापित किया है। प्रश्नगत भूमि का [illegible] सप्रतिफल पंजीकृत बेचाननामा से खरद का प्रचेजर है एवं वक्त खरीद से प्रार्थी निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है, व आज भी है। प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थी ने चारों और तारबंदी कराई है। प्रार्थी का प्रश्नगत भूमि पर सेटल पजेशन अर्थात वास्तविक कब्जा है, प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थी वक्त खरीद से मौसमी ऋतु अनुसार समय समय पर प्रार्थी की बुवाई व जोत होती आ रही है वर्तमान में भी प्रार्थी की काश्त की फसल खड़ी है। प्रार्थी ने मौके की स्थिति को अधिक सुस्पष्ट करने हेतु मौके का नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" साथ पेश किया है जिसे प्रार्थना–पत्र का अंग व अंश समझा जाकर प्रार्थना–पत्र के साथ में पढा जावे। जिसम मार्क ए बी सी डी भूमि पर प्रार्थी का कब्जा हैजिसके चारों तरफ प्रार्थी के खातेदारी कब्जा की भूमि की हद की तारबंदी व

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:45:22 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)

ड़ बनी हुई है। विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 21.09.2007 को नक्शे में तरमीम करने हेतु उप तहसीलदार जसोल को दिये गये प्रार्थना–पत्र पर तत्कालीन पटवारी खेड़ ने मौके पर जाकर व संबंधित प्रभावित पक्षकारों व पड़ोसी खातेदारों को बिना सूचना के उनकी गैर मौजूदगी में विप्रार्थी संख्या 1 से मिलीभगत कर उसे फायदा देने की नियत से घर पर बैठकर गलत मौका फर्द व रिपोर्ट तैयार कर फर्द नक्शें में सभी संबंधित खातेदारान के हस्ताक्षर भी बना दिये व कूट रचित कर जाली व फर्जी हस्ताक्षर बनाये है। उप तहसीलदार, जसोल द्वारा अपने पत्र क्रमांक भू.अ./08/189 दिनांक 11.02.2008 में यह स्पष्ट अंकित किया है कि " खातेदार की तरमीम पुराना लट्ठा ट्रेस के आधार पर" तथा सेठा पाड़ोसियों के साथ रूबरू नियमानुसार कार्यवाही ही करे इसमें पुराने लट्ठा ट्रेस की तरमीम में कोई रद्दोबदल बिना सक्षम न्यायालय के निर्णय/आदेश न करे" इसके बावजूद भी त्त्कालीन हल्का पटवारी ने उपरोक्त निर्देश की अनूचित पालना कर विप्रार्थी संख्या 1 से मिली भगत कर उसे फायदा पहूँचाने की नियत से पुराना लट्ठा ट्रेस में खसरा संख्या 524/306 व विप्रार्थी संख्या 1 की भूमि की कोई तरमीम इत्यादी नहीं होने तथा सेढा पाड़ासियों अर्थात प्रभावित खातेदारान् की अनुपस्थिति में उनको सूचित किये बिना ही एवं सक्षम न्यायालय व ऑथेरिटी के निर्णय /आदेश के बिना ही रेकर्ड व अभिलेख में (लट्ठा ट्रेस) खसरा संख्या 524/306 व 1247/306 की गलत व अनूचित तरमीम की गई थी। इस प्रकार उपरोक्त पूर्व में की गई तरमीम बिना सक्षम न्यायालय के आदेश व संबंधित पड़ौसी खातेदारों व प्रभावित पक्षकारों को बिना सूचित कर उनकी गैर मॉजूदगी में फर्द मौका फर्द व रिपोर्ट इत्यादी तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा पड़ौसी खातेदारो के हस्ताक्षर रचे गढे जालसाजी कर कूटकर्म से बनाकर रेकर्ड मे गलत व अनूचित तरमीम की गई थी.प्रार्थी को रेकर्ड व नक्शें में ऐसी गलत तरमीम की बाद खरीद के सर्वप्रथम जानकारी होने पर तुरन्त न्यायालय के समक्ष उक्त तरमीम दुरूस्ती हेतु प्राथ्रना–पत्र प्रस्तुत कर कार्यवाही की गयी, जो प्रार्थी के खातेदारी काबिज खसरा सं. 1231/306 के राजस्व रेकर्ड नक्शा लटठा ट्रेस में तरमीम करने हेतु वर्तमान प्रकरण कार्यवाही जारी है। यह भी निवेदन किया गया कि मौके पर 20715 बीघा ही है तो विप्रार्थीगण संख्या 1 की 37–12 बीघा भूमि होने का प्रश्न ही उत्पन्न हो सकता है। फूलचंद ने अपने बेचान दस्तावेज में स्पष्ट पाड़ोस अंकित किये है, उसी अनुसार मौके पर कब्जा सुपुर्द किया व वक्त खरद से प्रार्थी का कब्जा काश्त निरनतर चला आ रहा है। अब राजस्व अभिलेख के नक्शे में विप्रार्थीगण संख्या 2 ता 10 के खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1247/306 एवं विप्रार्थी संख्या 21 ता 24 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 530/306 की उनके वास्तविक कब्जा काश्त अनुसार ही तरमीम दर्ज है, जिससे पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि पूर्व में विप्रार्थी सं. 1 ने जानबूझ कर बनियति से पटवारी से मिली भगत कर अपनी व विप्रार्थी संख्या 2 ता 10 की काबिज जोत की भूमि से भिन्न अन्यत्र जगह राजसव नक्शें में बिना उनकी जानकारी व सहमति के अनूचित तरीके से गलत अवैध तरमीम करवाई थी।वर्तमान प्रश्नगत भूमि के आस पास विप्रार्थीगण संख्या 2 ता 31 के कब्जा–काश्त की कृषि भूमि की रेकर्ड व अभिलेख में तरमीम की हुई है ऐसे में यहद किसी कदर विप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा उज्र उठाकर की गई मांग अनुसार विप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में कोई आदेश/निर्णय हो जाता है, तो मौके व अभिलेख के सेढे व सीमाऐं हील जायेंगे तथा भारी परिवर्तन हो जायेगा, ऐसी विषम परिस्थिति में पड़ौसी खातेदारों के हक का कुठाराघात होगा एवं अनावश्यक ही मुकदमें बाजीयां में अभिवृद्धि होगी व अकारण कई कानूनी पेचीगदीयॉ बढ़ जायेगी। मौके पर इनमें भारी विरोधाभाष है।

विप्रार्थी संख्या 1 व शंकरलाल के मध्य [illegible] दिनांक 30.08.2007 में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 524/306 रकबा 37–12 [illegible] पाड़ोस व सेढा की सीमाओं का कोई स्पष्ट विवरण तक न[illegible] तरमीम नहीं होने का स्पष्ट कथन किया गया है।उक्त [illegible] बताये गये हैं जो कि सभी दिशाओं में अन्य खातेदारों [illegible] न कर खसरा संख्या 306 का शेष रकबा बताया है, जो कानूनी रूप से गलत एवं नि[illegible] है।विप्रार्थी संख्या 2 के खेत खसरा नम्बर 524/306 रकबा 37–12 बीघा की भूमि संपरिवर्तन के लिये कार्यवाही की गई जिसमें सक्षम अधिकारी क्षरा भूमि पर विप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा नहीं होना पाये जाने पर दिनांक 26.04.2010 को ड्रोप कार्यवाही की गई।रणछोड़ भूदर द्वारा दिनांक 13.11.1972 को कृषि भूमि खसरा संख्या 306 मौजा खेड़ की जरिये पेजीकृत दस्तावेज में विप्रार्थी संख्या 1 व शंकरलाल को बैचान की गई भूमि का कोई पाड़ौस व सीमाऐं सेढा इत्यादी अंकित नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:45:22 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

अंत में निवेदन किया गया कि प्रार्थी के कब्जा–काश्त खातेदारी की कृषि पूर्व जागीर , खेड़ तहसील पचपदरा में अवस्थित खसरा नम्बर 1231/306 रकबा 20–15 बीघा किस्म रानी सोयम की माफिक नक्शा परिशिष्ट "अ" में वर्णित मार्क ए बी सी डी के अनुसार नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ता 10 व 25 व 26, 27, 28 व 29, 30 व 31 की और से प्रार्थना पत्र का अलग–अलग उनकी और से जवाब प्रस्तुत किये गये। विप्रार्थीगण संख्या 11 ता 21, 24, को नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।

विप्रार्थी संख्या 01 की और से प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश किया गया, और प्रारम्भिक आपत्ति पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी ने राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 20.09.2017 की अनुपालना में संबोधित आवेदन पत्र पेश किया है। माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 20.09.2017 में प्रार्थी को संशोधित आवेदन पत्र पेश करने की कोई अनुमति प्रदान नहीं दी है न उक्त निर्णय में संशोधित प्रार्थना–पत्र पेश करने के निर्देश है प्रार्थी ने अदालती कार्यवाही का दुरूपयोग कर महज प्रकरण को पेशीदा व लम्बा करने हेतु प्रार्थना–पत्र दिया है जो चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावे। पद वार जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि खसरा नंबर 306 रकबा 85.17 बीघा भूमि खातेदार रणछोड़ भूदर कुम्हार को एलोट हुई जिससे दिनांक 13.11.1972 को 1/2 हिस्सा गौतमचंद ने व 1/2 हिस्सा शंकरलाल ने खरीद किया जिसके बाद दोनों के नाम खातेदारी दर्ज हुई। उक्त खसरान की भूमि में से खातेदार शंकरलाल व गौतमचंद ने 27.10 बीघा भूमि बेचान दिनांक 29.01.1994 को पदमाराम डूंगर वगैरा को किया तथा कब्जा सुपुर्द किया जिसके अलग खसरा नंबर 1247/306 रकबा 27.10 बीघा राजस्व रेकर्ड में पदमा, डूंगर वगैरा के नाम दर्ज किया गया तथा दिनांक 03.02.1994 को 20.15 बीघा और भूमि का बेचान गुलाबीदेवी वगैरा को विप्रार्थी गौतमचंद व शंकरलाल के द्वारा किया गया व कब्जा सुपुर्द किया, जिसके अलग खसरा नंबर 1231/306 रकबा 20.15 बीघा राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। हल्का पटवारी धनश्यामसिंह के द्वारा तैयार की गयी मौका फर्द रिपोर्ट का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता हैं कि हल्का पटवारी ने कब्जे की जांच के बगैर रिपोर्ट तैयार की तथा उन्होंने मूल खातेदार खसरा नंबर 524/306 के खातेदार विप्रार्थी गौतमचंद को सुना नही गया, न ही उसे इस संबंध में सूचित किया, न ही अन्य पाड़ोसी खातेदारान के रूबरू मौका रिपोर्ट बनायी गयी, हल्का पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट पेश कर दी गयी जिसके आधार पर उपखण्ड अधिकारी से आदेश पारित करवा दिया तथा उक्त उपखण्ड अधिकारी द्वारा तरमीम दुरूस्ती के आदेश नही था जिसकी शिकायत जिलाधीश बाड़मेर को करने पर उपखंड अधिकारी व उप तहसीलदार जसोल व हल्का पटवारी द्वारा की गयी कार्यवाही की पूर्ण जांच करवायी, जिसमें पाया गया कि हल्का पटवारी द्वारा की गयी कार्यवाहियां नियम विरूद्ध व राजस्व रेकर्ड से छेड़छाड़ का अपराध पाया गया जिसके आधार पर जिलाधीश बाड़मेर ने हल्का पटवारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक का आरोप पत्र दिया। उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के आदेश को अपीलीय न्यायालय द्वारा अपास्त किया जा चुका है। खसरा नंबर 524/306 रकबा 37.12 बीघा पूर्व राजस्व रेकर्ड अनुसार मौके पर सही था जिस पर गौतमचंद का कब्जा काश्त था जिसकी फसल गिरदावरी कायम की गयी। विपार्थी गौतमचंद के कब्जा काश्त की गिरदावरी कायम की गयी। विप्रार्थी गौतमचंद के कब्जा काश्त की गिरदावरी स्वयं हल्का पटवारी [illegible]सिंह के द्वारा उनके कब्जे काश्त के अनुसार मौके पर जाकर बनवायी थी, भूमि की वास्तविक जानकारी होने के उपरांत भी गलत जांच रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी के समक्ष [illegible] प्रार्थी लक्ष्मीनारायण व उनके हकपूर्वाधिकारी का कभी खसरा नंबर 524/306 [illegible] पर कब्जा काश्त नहीं रहा। प्रार्थी लक्ष्मीनारायण ने गौतमचंद की बहुमुल्य भूमि को हड़पने की नियत से हल्का पटवारी धनश्यामसिंह से मिलावट कर राजस्व रेकर्ड में खसरास [illegible] 524/306 रकबा 37.12 बीघा बिना किसी आदेश के राजस्व नक्शे से हटा दिया तथा उक्त खसरे को नक्शे में नही दर्शाकर फेरबदल किया गया जो नियम विरूद्ध था खसरा नंबर 524/306 रकबा 37.12 बीघा पर कभी प्रार्थी लक्ष्मीनारायण व उनके हकपूर्वाधिकारी का कब्जा नही रहा, न ही कब्जे के संबंध में ऐसा दस्तावेज पत्रावली में पेश किया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:45:22 IST
Reason: SelfAttested

में निवेदन हैं कि खसरा नंबर 1231/306 को राजस्व नक्शे में से जो खसरा नंबर +/306 की जगह दर्ज किया गया, को हटाया जाकर पुनः खसरा नंबर 524/306 को पूर्व राजस्व रेकर्ड व नक्शे की स्थिति को पुनः कायम किया जावे कि राजस्व रेकर्ड में पूर्व रेकर्ड माफिक खसरा नंबर 524/306 रकबा 37.12 बीघा खातेदार गौतमचंद के नाम से अमल दरामद करें।

विप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ता 10 व 25 व 26, 27, 28 व 29, 30 व 31 की और से अलग–अलग अधिवक्ताओं ने जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को सही होना स्वीकार करते हुए माफिक कब्जे काश्त अनुसार मौके पर तरमीम सही किया जाना जाहिर किया गया है।

प्रार्थी की ओर से दिनांक 30.06.2022 को प्रस्तुत लिखित बहस के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के कब्जा काश्त खातेदारी की कृषि भूमि पूर्व जागीर गांव खेड तहसील पचपदरा की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 1231/306 क्षैत्रफल 20 बीघा 15 बिस्वा की जमाबन्दी खतौनी – Annexure 1 मौके की वस्तुस्थिति को और अधिक सुस्पष्ट करने हेतु मौके का नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ' जिसमे वर्णित मार्क ए बी सी डी भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है जिसके चारों तरफ प्रार्थी के खातेदारी कब्जा की भूमि की हद की तारबंदी व बाड़ बनी हुई है। नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ"– Annexure 2 उप तहसीलदार जसोल द्वारा अपने लेख (पत्र) क्रमांक/ भू./अ./08/189 दिनांक 11.02.2008 मे यह स्पष्ट अंकित किया हैं कि "खातेदार की खातेदारी भूमि की तरमीम पुराना लट्ठा ट्रेस के आधार पर" तथा "सेढा पाड़ौसीयो के साथ रूबरू नियमानुसार कार्यवाही ही करे इसमे पुराने लट्ठा ट्रेस की तरमीम मे कोई रदो बदल बिना सक्षम न्यायालय के निर्णय/आदेश बिना न करे" इसके बावजूद भी तत्कालीन हल्का पटवारी खेड़ ने उपरोक्त निर्देश की अनूचित पालना कर विप्रार्थी सं. 1 से मिली भगत कर उसे फायदा पहूँचाने की नियत से पुराना लट्ठा ट्रेस मे खसरा संख्या 524/306 व विप्रार्थी सं. 1 की भूमि की कोई तरमीम इत्यादी नही होने तथा सेढा पड़ौसीयो अर्थात् प्रभावित खातेदारान् की अनुपस्थिति मे उनको सूचित किये बिना ही एवं सक्षम न्यायालय व ऑथेरिटी के निर्णय/आदेश के बिना ही रेकर्ड व अभिलेख मे (लट्ठा ट्रेस) खसरा संख्या 524/306 व 1247/306 की गलत व अनूचित तरमीम की गई थी।उपरोक्त पूर्व मे की गई तरमीम बिना सक्षम न्यायालय के आदेश व सम्बन्धित पड़ौसी खातेदारो व प्रभावित पक्षकारो को बिना सूचित कर उनकी गैर मौजूदगी मे मौका फर्द व रिपोर्ट इत्यादी तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा पड़ौसी खातेदारो के हस्ताक्षर रचे गढे जालसाजी कर कूटकर्म से बनाकर रेकर्ड मे गलत व अनूचित तरमीम की गई थी, जो अब वर्तमान दिनांक 17.06.2022 की उप–तहसीलदार की मौका व जांच रिपोर्ट के अवलोकन से ही पूर्णतया स्पष्ट है। उप तहसीलदार जसोल का लेख (पत्र) दिनांक 11.02.2008 . Annexure 3 विप्रार्थी सं. 1 द्वारा साजशी बदनियति से बिना सूचना के उपरोक्त करवाई गई गलत तरमीम की विप्रार्थीगण सं. 2 ता 10 को जानकारी होने पर उनकी ओर से विप्रार्थी पदमाराम ने उप तहसीलदार,जसोल को दिनांक 29.06.2009 को आवेदन कर आपत्ति करते हुये यह निवेदन किया कि "मोमी ट्रेस नक्शा मे कब्जा अनुसार तरमीम नही है, जिस हेतु कब्जा कास्त मौका अनुसार नक्शा मे तरमीम करवाने हेतु हल्का पटवारी खेड़ के नाम आदेश फरमावे।" इस पर उप तहसीलदारजी,जसोल ने उसी दिनांक 29.06.2009 को उक्त आवेदन के पुष्ठ पर हल्का पटवारी को मौके अनुसार ही तरमीम करने का आदेशित कर[illegible] तहसीलदार,जसोल को दिनांक 29.06.2009 किये गये आवेदन की प्रति म[illegible] पर उप तहसीलदार,जसोल के आदेश क्रमांक/ भू.अ./2009/[illegible] प्रार्थी को रेकर्ड व नक्शे मे ऐसी गलत तरमीम की बाद[illegible] तुरन्त न्यायालय श्री के समक्ष उक्त तरमीम की दु[illegible] कर यह कार्यवाही की गई, जिसमे तहसीलदार पचपदरा के माफिक निर्देश के ही [illegible]लीन हल्का पटवारी श्री घनश्यामसिंह जी ने सम्बन्धित प्रभावित पक्षकारो को सूचित कर ही मौके पर जाकर आवश्यक पड़ौसी खातेदारो की मौजूदगी मे समूचित प्रक्रिया का पालन कर सही मौका फर्द व रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार,पचपदरा को प्रेषित की गई थी। जो अब वर्तमान दिनांक 17.06.2022 की उप–तहसीलदार व मौजूदा हल्का पटवारी की मौका व जांच रिपोर्ट भी उनकी मौका फर्द के सत्यता की पूर्ण रूप से पुष्टि करते है। उक्त प्रार्थी द्वारा पूर्व मे तरमीम दुरूस्ती हेतु कार्यवाही दिनांक 31.08.2010 के पत्रावली के समस्त दस्तावेजात– Annexure 5 यहां यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:45:22 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

...न करना भी समीचीन हैं कि जब मौके पर भूमि 20 बीघा 15 विस्वा ही हैं तो विप्रार्थी सं. के खसरे 524/306 की 37 बीघा 12 विस्वा भूमि होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही हो सकता है। जिसकी जमाबन्दी खतौनी विप्रार्थी सं. 1 के खसरा नम्बर 524/306 – Annexure 6 शंकरलाल व गौतमचन्द(विप्रार्थी सं. 1) ने अपनी खातेदारी भूमि मे से पदमाराम डूंगरराम मुलतानाराम खीमाराम पि0 मगारामजी माली को बेचान कृषि भूमि (खसरा सं. 1247/306) रकबा 27 बीघा 10 विस्वा भूमि एवं प्रार्थी के हक पूर्वाधिकारी श्रीमति गुलाबीदेवी पत्नी हनुमानचन्द जाति ओसवाल को बेचान की गई कृषि भूमि (खसरा सं. 1231/306) रकबा 20 बीघा 15 विस्वा के दोनो अलग अलग रजिस्टर्ड बेचाननामे मे वर्णित सेढो व पड़ौस का विवरण पूर्व मे विप्रार्थी सं. 1 द्वारा तत्कालीन हल्का पटवारी से मिली भगत कर करवाई गई गलत तरमीमी नक्शे व मौका रिपोर्ट से कदापि मेल नही खाते हैं और इनमे भी परस्पर भारी विरोधाभास हैं। विप्रार्थी सं.1 द्वारा अपनी 524/306(कुल रकबा 85.15 बीघा) मे से किये गये उक्त रजिस्टर्ड बेचाननामे– Annexure 7 विप्रार्थी सं. 1 व शंकरलाल के मध्य किया गया रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 30.08.2007 मे वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 524/306 रकबा 37 बीघा 12 विस्वा का कोई पाड़ौस व सेढ़ा की सीमाओ का कोई स्पष्ट विवरण तक नही हैं तथा खसरा संख्या 524/306 के तरमीम नही होने का स्पष्ट कथन किया गया हैं। उक्त बेचान मे खसरा संख्या 306 के पाड़ौस बताये गये हैं जो कि सभी दिशाओ मे अन्य खातेदारो व खसरो की भूमि का वर्णन न कर खसरा संख्या 306 का शेष रकबा बताया हैं, जो कानूनी रूप से गलत व निराधार हैं। क्योकि ऐसे पड़ौस खसरा संख्या 306 के हो ही नही सकते हैं। यदि उक्त बेचान की भूमि मौके पर अवस्थित होती तो वे अवश्य ही उसे अपने बेचाननामे मे स्पष्ट रूप से पाड़ौस का विवरण अंकित कर दर्शाते परन्तु वास्तव मे मौके पर उक्त भूमि कभी भी उनके कब्जा कास्त की मौजूद नही रही और इसलिये जान बूझकर केवल मात्र रेकर्ड की बिना कब्जे की उक्त भूमि का विप्रार्थी सं. 1 ने बतौर क्रेता बेचान दस्तावेज निष्पादित करवाया। इस प्रकार उक्त बेचान मे बताई गई शेष रही 37 बीघा 12 विस्वा भूमि मौके पर कभी भी विप्रार्थी सं. 1 व शंकरलाल के कब्जा कास्त की नही रही और न ही ऐसी कोई भूमि मौके पर विद्यमान ही रही हैं और न हैं। आज वर्तमान मे प्रश्नगत भूमि व उसके आड़ौस– पड़ौस मे मौके पर विप्रार्थी सं. 1 का उपरोक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 524/306 रकबा 37 बीघा 12 विस्वा का कोई कब्जा काश्त इत्यादी नही हैं और न ही गौतमचन्द वहां कोई खेती ही कर रहा हैं। उक्त रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 30.08.2007– Annexure 8 विप्रार्थी सं. 1 द्वारा कृषि भूमि खसरा सं. 524/306 रकबा 37 बीघा 12 विस्वा के भू–संपरिवर्तन के लिये सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कार्यवाही की गई, जिसमे सक्षम अधिकारी द्वारा समूचित प्रकिया अपना कर कार्यवाही कर जांच करने पर विप्रार्थी सं. 1 का मौके पर कब्जा नही होना पाया जाने से दिनांक 26.04.2010 को ड्रोप फरमाई गई। उक्त कार्यवाही मे हल्का पटवारी ने समूचित जांच कार्यवाही कर दिनांक 21.04.2010 अर्थात् तरमीमी दुरूस्ती आदेश दिनांक 09.09.2010 से पूर्व गलत व अवैध तरमीम अनुसार भूमि मौके पर उपलब्ध नही बताया और न ही ऐसा कब्जा विप्रार्थी सं. 1 का तत्समय बताया है। विप्रार्थी सं. 1 द्वारा आवेदन कर भू–संपरिवर्तन की कार्यवाही की पत्रावली के समस्त दस्तावेजात– Annexure 9 रणछोड़ भूदर द्वारा दिनांक 13.11. 1972 को कृषि भूमि खसरा नंबर 306 सरहद मौजा खेड़ को जरीये रजिस्ट्री बेचाननामा मे विप्रार्थी सं. 1 व शंकरलाल को बेचान की गई भूमि का कोई पाड़ौस व सीमाऐ सेढा इत्यादी का स्पष्ट विवरण तक अंकित नही हैं। उक्त रजिस्टर्ड बेचान[illegible] 13.11.[illegible] 10 फुलचन्द वगैरा ने प्रार्थी को अपने बेचान रजिस्ट्री मे मौके के वास्तविक स[illegible]ड़[illegible]अंकित किये हैं और उसी अनुसार मौके पर अपना कब्जा सुपु[illegible] कब्जा काश्त निरन्तर नियमित रूप से चला आ रहा हैं[illegible] की कृषि भूमि खसरा संख्या 1231/306 रकबा 20 बीघा [illegible] मौके पर निरन्तर कब्जा कास्त हैं। उक्त रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 28.06.2010– Ann[illegible] 11 अब वर्तमान मे राजस्व अभिलेख के नक्शे मे विप्रार्थीगण सं. 2 ता 10 के खातेदारी भूमि खसरा सं. 1247/306, विप्रार्थीगण सं. 21 ता 24 के खातेदारी भूमि खसरा सं. 530/306, विप्रार्थी सं.29 के खसरा सं. 525/306 व विप्रार्थी सं.30 के खसरा सं. 1779/306 की उनके वास्तविक कब्जा काश्त अनुसार ही तरमीम दर्ज हैं, जिससे यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता हैं कि पूर्व मे विप्रार्थी सं. 1 ने जानबूझकर बदनियति से पटवारी से मिली भगत कर अपनी व विप्रार्थीगण सं. 2 ता 10 की काबिज जोत की भूमि से भिन्न अन्यत्र जगह राजस्व नक्शे मे बिना उनकी जानकारी व

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:45:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

…ति के अनुचित तरीके से गलत अवैध तरमीम करवाई गई थी। वर्तमान मे प्रश्नगत भूमि के …स पास के सभी पाड़ौसीयान विप्रार्थीगण सं. 2 ता 31 के कब्जा कास्त की कृषि भूमि की …कर्ड व अभिलेख मे तरमीम की हुई हैं। प्रकरण के प्रश्नगत भूमि के सम्पूर्ण आड़ौस–पाड़ौस का राजस्व अभिलेख का वर्तमान नक्शा– Annexure 12 वास्तविक रूप से सही स्थिति विप्रार्थीगण सं. 29 के खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा सं. 525/306 के बदिशा उत्तर मे विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा सं. 524/306 की भूमि मौके पर व रेकर्ड मे आई हुई हैं, फिर भी विप्रार्थीगण संख्या 1 जानबूझकर बदनियति से वास्तविकता से परे जाकर मनचाहे स्थल पर ही अपनी भूमि के सम्बन्ध मे मनगढंत गलत दस्तावेजो की संरचना कर प्रार्थी व अन्य पाड़ौसी खातेदारो विप्रार्थीगण सं. 2 ता 31 की भूमि हड़प कर उन्हे साशय भारी नुकसान पहुँचाने की विप्रार्थी सं. 1 की शुरू से ही दुमंशा रही है। _विप्रार्थी सं. 1 के खसरा सं. 524/306 के मौजूदा वास्तविक कब्जे व सही तरमीम का राजस्व अभिलेख का वर्तमान नक्शा– Annexure 13 प्रार्थी व विप्रार्थीगण सं. 1 ता 31 के वास्तविक कब्जा कास्त की कृषि भूमि की रेकर्ड व अभिलेख मे तरमीम की हुई हैं ऐसे मे यदि किसी कदर विप्रार्थी सं. 1 के द्वारा उज्र उठाकर की गई अनुचित मॉग अनुसार विप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में कोई आदेश/निर्णय हो जाता हैं तो मौके व अभिलेख मे सभी खातेदारो के सेढ़े व सीमाऐं हील जायेंगे तथा भारी परिवर्तन हो जायेगा, ऐसी विषम परिस्थिति मे पड़ौसी खातेदारो व प्रभावित व्यक्तियो के हक अधिकारो का कुठाराघात होगा एवं अनावश्यक ही मुकदमेबाजीयां मे अभिवृद्धि होगी व अकारण कई कानूनी पेचीगदीयॉ बढ़ जायेगी। अन्य विप्रार्थीगण 2 ता 31 ने भी मौके के वास्तविक कब्जा कास्त की कृषि भूमि अनुसार ही नक्शा परिशिष्ट "अ' एवं वर्तमान रेकर्ड अभिलेख मे मौजूदा तरमीम बिल्कुल सही होने की अपने जवाब मे पुष्टि कर संस्वीकृतियुक्त कथन किये हैं। विप्रार्थीगण सं. 2 ता 10, विप्रार्थीगण सं. 25, विप्रार्थीगण सं. 26 ता 27, विप्रार्थीगण सं. 28, विप्रार्थीगण सं. 29 ता 30 एवं विप्रार्थीगण सं. 31 के जवाब– Annexure 14 प्रार्थना–पत्र के जबाब मे विप्रार्थी सं.1 की ओर से प्रस्तुत आधार व लिखित बहस के प्रार्थी का जवाब यह हैं कि विप्रार्थीगण सं. 1 द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी दस्तावेज मे उसके खातेदारी भूमि के पाड़ौस,नक्शे तथा लोकेशन का कोई विवरण तक अंकित तक नही है, तो ऐसी परिस्थिति मे रेवेन्यू गिरदावरी दस्तावेजात् से विप्रार्थीगण संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि जो प्रार्थी के काबिज खातेदारी की भूमि पर कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होता है। प्रार्थी के भी काबिज खातेदारी की कृषि भूमि के सम्बन्ध मे रेवेन्यू पटवारी द्वारा निरन्तर गिरदावरीयां जारी को जाती रही है। न्याय–दृष्टान्त :– RRT 2021 [1] 476 Annexure 15 विप्रार्थीगण संख्या 1 द्वारा अपने जवाब के साथ प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट 'ब' मौके की वास्तविक वस्तुस्थिति से नितान्त भिन्न व गलत मनगढंत विरचित कर बदनियति से प्रस्तुत किया गया हैं, नक्शे मे बताये गये मार्क बिन्दुओ अनुसार पाड़ौसी खातेदारो की भूमि मौके पर विद्यमान तक नही हैं। यहां तक कि विप्रार्थीगण सं. 2 ता 10, विप्रार्थीगण सं. 25, विप्रार्थीगण सं. 26 ता 27, विप्रार्थीगण सं. 28, विप्रार्थीगण सं. 29 ता 30 एवं विप्रार्थी सं. 31 द्वारा प्रस्तुत जवाब मे इस नक्शा परिशिष्ट 'ब' को गलत व बनावटी बताया है। विप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा परिशिष्ट "ब"–Annexure 16 विप्रार्थी सं. 1 द्वारा बार–बार जवाब मे तत्कालीन हल्का पटवारी, खेड़ घनश्यामसिंह के द्वारा प्रार्थी से मिलावट कर बिना सूचित किये अन्य पाड़ोसी खातेदारान् की अनुपस्थिति मे गलत मौका रिपोर्ट बनाकर गलत रिपोर्ट पेश करने का कथन कर रहे है, परन्तु इसके बिल्कुल विपरीत विप्रार्थीगण सं. 2 ता 10, विप्रार्थीगण सं. 25, विप्रार्थीगण सं. 26 ता 27, विप्रार्थीगण सं. 28, विप्रार्थीगण सं. 29 ता 30 एवं विप्रार्थी सं. 31 के द्वारा प्रस्तुत सशपथ जवाब मे यह स्पष्ट रूप से संस्वीकृतयुक्त कथन किया कि "तहसीलदार पचपदरा के निर्देशानुसार तत्कालीन हल्का पटवारी खेड़ घनश्यामसिंह [illegible] विप्रार्थीगण व अन्य प्रभावित पक्षकारो को सूचित कर ही मौके पर जाकर विप्रार्थी [illegible] सी खातेदारो की मौजूदगी मे समूचित प्रक्रिया का पालन करते हुए सही मौका [illegible] तहसीलदार पचपदरा को प्रेषित की गई थी।_विप्रार्थीगण सं. 2 [illegible] सं. 26 ता 27, विप्रार्थीगण सं. 28, विप्रार्थीगण सं. 29 [illegible] सं. 31 के जवाब– Annexure 14 खसरा संख्या 1229/306 की भूमि जगदीश घांची ने [illegible] कुमार आजाद को दिनांक 07.12.2009 को जरीये रजिस्टर्ड बेचाननामा के बेचान की हैं, उसमे बेचानकर्ता ने मौके पर काबिज पड़ौसीयो खातेदारान व किसी व्यक्ति विशेष का कब्जा इत्यादी को न दर्शाकर वक्त रेकर्ड नक्शे के अनुसार ही पाड़ौस अंकित किये हैं, उक्त बेचान के समय अर्थात दिनांक 07.12. 2009 को रेकर्ड नक्शे मे विप्रार्थी सं. 1 द्वारा अनूचित कार्यवाही कर खसरा संख्या 524/306

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:45:22 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

गलत तरमीम करवाई हुई मौजूद थी, जो मौके पर विप्रार्थी सं. 1 की वास्तव मे कब्जा काश्त की अवस्थित ही नही थी। और तो और बदिशा पश्चिम मे कही भी खातेदार व काबिज व्यक्ति का नाम नही हैं। यहां यह निवेदन करना भी समीचीन हैं कि विप्रार्थी सं. 1 द्वारा जवाब मे आगे यह स्पष्ट संस्वीकृति युक्त कथन किया हैं कि "विप्रार्थी ने ही इस खसरा नंबर 524/306 की भूमि मे से अलग अलग लोगो को बेचान की हैं" व आगे भी ऐसी संस्वीकृति की हैं कि " पूरा खसरा नंबर 524/306 रकबा 85.15 बीघा विप्रार्थी सं. 1 के खातेदारी का था उसमे से ही विप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थी के प्रेडिसेसर गुलाबीदेवी वगैरा के खरीददार फुलचन्द वगैरा से खरीद की हैं" जिससे यह स्पष्ट हो जाता हैं कि पश्चिमी पड़ौस उस समय खसरा संख्या 524/306 वादी के हक पूर्वाधिकारी फुलचन्द का ही हो सकता हैं और यह प्रश्नगत भूमि 524/306 का ही भाग थी। विप्रार्थी सं.25 ने भी अपने सशपथ जवाब मे इसका स्पष्टीकरण पूर्ण रूप से दे दिया है। जगदीश पुत्र मंशाराम घांची ने भी अपना शपथ–पत्र प्रस्तुत कर सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है। उक्त रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 07.12.2009– Annexure 17 विप्रार्थी सं. 1 द्वारा जवाब मे यह बिल्कुल गलत व निराधार कथन किया हैं कि "नक्शा परिशिष्ट 'ब' मे बताई गई भूमि । गुलाबीदेवी पत्नी हनुमानचन्द वगैरा को बेचान की थी" क्योकि विप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज रजिस्टर्ड बेचाननामा सन 1994 जो विप्रार्थी सं. 1 व शंकरलाल द्वारा श्रीमती गुलाबीदेवी के हक पक्ष मे निष्पादित किया हैं, मे वर्णित सेढो की सीमाओ व पाडौस से किसी भी प्रकार से मेल नही खाता हैं और बेचान दस्तावेज मे पाड़ौस के विवरण मे जुडते विप्रार्थी सं.1 के शेष 37.12 भूमि का हवाला तक नही है। उक्त रजिस्टर्ड बेचाननामा सन् 1994 – Annexure 18 विप्रार्थी सं. 1 अनेको बार अपने जवाब मे स्वंय द्वारा पूर्व मे की गई वर्ष 2008 की अनुचित तरमीमी कार्यवाही का कथन किये ही जा रहे है किन्तु उक्त अनुचित तरमीमी कार्यवाही को राजस्व मण्डल,अजमेर ने दिनांक 20.09.2017 को निर्णय पारित कर खारिज कर दिया है । विप्रार्थीगण सं. 2 ता 10, विप्रार्थीगण सं. 25, विप्रार्थीगण सं. 26 ता 27, विप्रार्थीगण सं. 28, विप्रार्थीगण सं. 29 ता 30 एवं विप्रार्थी सं. 31 ने सशपथ जवाब प्रस्तुत कर पूर्व मे की गई वर्ष 2008 की अनुचित तरमीमी कार्यवाही पर आपत्ति कर यह कथन किये कि तत्कालीन हल्का पटवारी खेड़ श्री नरपतसिंह मौके पर नही जाकर एवं आवश्यक पक्षकार विप्रार्थीगण तथा सम्बन्धित प्रभावित पक्षकारो व पड़ौसी खातेदारो को बिना सूचना दिये उनकी अनुपस्थिति मे विप्रार्थी सं. 1 से मिली भगत कर सांठ–गांठ कर उसे अनुचित फायदा देने की गरज से घर पर ही बैठकर गलत मौका फर्द व रिपोर्ट तैयार कर मौका फर्द नक्शे मे विप्रार्थीगण व सभी सम्बन्धित खातेदारान् के हस्ताक्षर भी कूटरचित कर जाली व फर्जी हस्ताक्षर बनाये गये हैं। विप्रार्थी सं. 1 के जवाब मे विशेष कथन भी राजस्व मण्डल,अजमेर के निर्णयनुसार पढने योग्य तक नही है और बिल्कुल गलत व निराधार विशेष कथन किये है। राजस्व मण्डल,अजमेर ने सभी हितबद्व व पाड़ौसी खातेदारान् को पूर्ण सुनवाई का मौका देकर ही मामला पुनः नये सिरे से सुनवाई करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है। राजस्व मण्डल,अजमेर का निर्णय दिनांक 20.09.2017– Annexure 19 मौके पर कब्जे काश्त के सम्बन्ध मे विप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब के पद सं. 2 व पेज सं. 10 पर सुस्पष्ट रूप से यह संस्वीकृतियुक्त कथन कर प्रार्थी का वर्तमान रेकर्ड नक्शे मे मौजूदा तरमीम व नक्शा परिशिष्ट अ अनुसार ही कब्जा वर्ष 2010 से होना बताया है और विप्रार्थी सं. 1 स्वंय का वहां पर कोई कब्जा नही होना जाहिर किया है, इस तरह विप्रार्थी सं. 1 अब कोई अन्य विपरीत कथन करने से पूर्णतया विबंधित है। और तो और अन्य सभी विप्रार्थीगण सं. 2 ता 10, विप्रार्थीगण सं. 25, विप्रार्थीगण सं. 26 ता 27, विप्रार्थीगण सं. 28, विप्रार्थीगण सं. 29 ता 30 एवं विप्रार्थी सं. 31 के द्वारा भी प्रस्तुत सशपथ ... प्रार्थी के मौके पर नक्शा परिशिष्ट "अ' एवं वर्तमान रेकर्ड अभिलेख मे मौजूदा ... की निरन्तर वास्तविक कब्जा कास्त की कृषि भूमि अवस्थित ... खरीद से कब्जा काश्त विद्यमान होने का स्पष्ट रूप से सं... जगदीश पुत्र मंशाराम घांची ने अपना शपथ–पत्र प्रस्तुत कर मौके पर वक्त उसके ... खसरा संख्या 1229/306 की भूमि बेचान करने पर उसके बदिशा पश्चिम मे प्रार्थी के हकपूर्वाधिकारी फुलचन्द वगैरह का ही कब्जा बताया है। विप्रार्थी सं. 1 ने अपने कब्जे के सम्बन्ध मे कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज व साक्ष्य तक प्रस्तुत तक नही किया है बल्कि अन्य सभी विप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत सशपथ जवाब मे कथन किया किया कि विप्रार्थी सं. 1 का उनके आस–पास बिल्कुल जुड़ते पाड़ौस मे कोई कब्जा काश्त नही है। अब हाल ही के दिनांक 17.06.2022 की उप–तहसीलदार की मौका व जांच रिपोर्ट मे भी मौके पर प्रश्नगत भूमि पर केवल प्रार्थी का ही वक्त खरीद से

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:45:22 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

...ा काश्त होना बताया गया है। उक्त विप्रार्थी सं. 1 का जवाब – Annexure 20, जगदीश पुत्र ...ाराम घांची का शपथ–पत्र दिनांक 14.06.2022 – Annexure 21 वर्तमान के सेटेलाईट गूगल नक्शे मे भी प्रश्नगत भूमि व उसके आस पास के सभी पाडौसीयान विप्रार्थीगण के कब्जा कास्त की कृषि भूमि भी राजस्व रेकर्ड व अभिलेख नक्शे अनुसार ही स्पष्ट रूप से दर्शा रही है। वर्तमान सेटेलाईट का गूगल नक्शा – **Annexure 22** विप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब के पद सं. 4 व पेज सं. 13 मे बदिशा पूर्व मे खसरे सं. 1247/306 की भूमि होने का लिखित कथन कर अपने ही द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट ब मे दर्ज कथनो से बिल्कुल भिन्न व विपरीत कथन किया हैं। इस प्रकार ऐसे विरोधाभास कथनो से यह सुस्पष्ट हो जाता है कि विप्रार्थी सं. 1 स्वंय का प्रश्नगत स्थल पर मौके पर वहां पर कोई कब्जा काश्त ईत्यादि कभी भी नही रहा है और न है। ऐसे मे विप्रार्थी सं. 1 ने नक्शा परिशिष्ट 'ब' को गलत व बनावटी ढंग से विरचित कर प्रस्तुत किया है।

अतः प्रार्थी की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के कब्जा काश्त खातेदारी की कृषि भूमि पूर्व जागीर गांव खेड़ तहसील पचपदरा की राजस्व सीमा में अवस्थित खसरा नम्बर 1231/306 क्षेत्रफल 20 बीघा 15 विश्वा किस्म बारानी सोयम की माफिक नक्शा परिशिष्ट "अ" (वर्णित मार्क ए बी सी डी) के प्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम करने अथवा रेकर्ड मे उसकी पुष्टि करने का आदेश प्रदान करावे। उपरोक्त प्रकरण करीब 12 वर्षो से ज्यादा समय से न्यायिक प्रक्रिया मे लम्बित है इसलिये जल्द से जल्द मामले का न्याय–निर्णयन कर प्रार्थी को न्याय दिलावे।

विप्रार्थी गौतमचंद की और से दिनांक 07.06.2022 को प्रस्तुत लिखित बहस के तथ्य इस प्रकार हैं कि खसरा नंबर 306 रकबा 85.17 बीघा भूमि खातेदार रणछोड़ भूदर कुम्हार को एलोट हुई जिससे दिनांक 13.11.1972 को 1/2 हिस्सा गौतमचंद ने व 1/2 हिस्सा शंकरलाल ने खरीद किया जिसके बाद दोनों के नाम खातेदारी दर्ज हुई। उक्त खसरान की भूमि में से खातेदार शंकरलाल व गौतमचंद ने 27.10 बीघा भूमि बेचान दिनांक 29.01.1994 को पदमाराम डूंगर वगैरा को किया तथा कब्जा सुपुर्द किया जिसके अलग खसरा नंबर 1247/306 रकबा 27.10 बीघा राजस्व रेकर्ड में पदमा, डूंगर वगैरा के नाम दर्ज किया गया तथा दिनांक 03.02.1994 को 20.15 बीघा और भूमि का बेचान गुलाबीदेवी वगैरा को विप्रार्थी गौतमचंद व शंकरलाल के द्वारा किया गया व कब्जा सुपुर्द किया, जिसके अलग खसरा नंबर 1231/306 रकबा 20.15 बीघा राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। उक्त संपूर्ण भूमि में से शंकरलाल व गौतमचंद के द्वारा 27.10+20.15+ 48.05 बीघा का बेचान होने के उपरांत 37.12 बीघा भूमि शेष रही, शेष भूमि का खसरा नंबंर राजस्व रेकर्ड में अलग रूप से 524/306रकबा 37.12 बीघा खातेदार शंकरलाल व गोतमचंद के नाम दर्ज की गयी। उक्त भूमि मे से शंकरलाल ने अपना शेष संपूर्ण हिस्सा सह खातेदार गौतमचंद को बेचान कर दिया जिसके बाद खसरा नंबर 524/306 का एकमात्र खातेदार गौतमचंद रहा। भूमि स्थिति को स्पष्टता के लिए परिशिष्ट 'ए' पत्रावली में संलग्न है जिसका अवलोकन किया जावे। गौतमचंद द्वारा खसरा नंबंर 306 जिसके तीन खसरे बन गये (खसरा नंबंर 1231/306, 1247/306, 524/306) जिसको कब्जे व बेचान हस्तांतरण के अनुसार नक्शे में तरमीम हेतु दिनांक 24.09.2007 को उप तहसीलदार जसोल को आवेदन पेश किया। श्रीमान उप तहसीलदार जसोल द्वारा राज. भू. राजस्व नियम 1957 के नियम 125 की पालना हेतु हल्का पटवारी खेड़ से जांच व रेकर्ड मौके ... हल्का पटवारी द्वारा बाद जांच खातेदारान का कब्जा सही होना पाया तथा मौके पर ... नहीं होना पाया, जिसके बाद उप तहसीलदार ने दिनांक 11.... सेटलमेंट के मूल नक्शे में परिवर्तन किये बिना कब्जे के अनुसार ... आदेश प्रदान किया, उक्त आदेश के बाद नक्शे में तरमीम ... गयी। जिसके बाद गुलाबीदेवी वगैरा ने अपना खसरा नंबंर 1231/306 रकबा 20.15 ... बेचान फुलचंद वगैरा को कर दिया, फुलचंद वगैरा ने दिनांक 23.06.2010 को प्रार्थी लक्ष्मीनारायण को बेचान कर दिया जिससे खसरा नंबंर 1231/306 रकबा 20.15 बीघा प्रार्थी लक्ष्मीनारायण के नाम से खातेदारी दर्ज हुई। खसरा नंबर 542/306 के पूर्व दिशा में खसरा नंबर 1229/306 रकबा 12 बीघा भूमि थी जो प्रार्थी लक्ष्मीनारायण के भाई भरत आजाद ने दिनांक 07.12.2009 को जगदीश कुमार घांची से खरीद की, बेचाननामा में पश्चिम का पाडोस विप्रार्थी गौतमचंद का खसरा नंबंर 542/306 दर्शाया गया है अर्थात सन् 2009 में खसरा नंबर 542/306 अवस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:45:22 IST
Reason: SelfAttested

जिस पर एकमात्र कब्जा खातेदार गोतमचंद का था। निांक 31.08.2010 को प्रार्थी लक्ष्मीनारायण ने उपखण्ड अधिकारी बालोतरा को प्रार्थना पत्र दिया तथा खसरा नंबर 1231/306 की गलत तरमीम तथा खसर नंबर 1231/306 की जगह अन्य खसरे की तरमीम होना बताकर अशुद्ध को दुरूस्त करने का निवेदन किया जिस पर उपखण्ड अधिकारी ने प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर तहसीलदार पचपदरा से माका जांच कर सत्यापन रिपोर्ट मांगी गयी। तहसीलदार स्वयं मौके पर न जाकर हल्का पटवारी से रिपोर्ट मंगवायी, हल्का पटवारी द्वारा बिना किसी प्रकार की जांच किये प्रार्थी लक्ष्मीनारायण से मिलावट कर गलत रिपोर्ट पेश कर दी जिसके आधार पर उपखण्ड अधिकारी ने भी हितबद्ध पक्षकारान को न तो पक्षकार बनाया न नोटिस भेजे, न पक्षकार को सुना, न ही प्रार्थना पत्र दर्ज किया, बिना विधिक प्रकिया अपनाये आदेश पारित कर दिया, जिसकी अपील श्री अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर में की गयी जिसमें श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी का आदेश अपास्त किया गया तथा धारा 131 भू.रा.अ. के प्रावधानों के अधीन निर्णय पारित करने का उपखण्ड अधिकारी को आदेश दिया।

माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के आदेश को श्री राजस्व न्यायालय में प्रार्थी लक्ष्मीनारायण द्वारा चुनौती प्रस्तुत की गयी, श्री राजस्व न्यायालय ने भी हितबद्ध पार्टी के पक्ष को सुना जाकर रेकर्ड का अवलोकन करने के उपरांत निर्णय करने का आदेश प्रदान करते हुए उपखण्ड अधिकारी बालोतरा को भेजा। पत्रावली में शामिल हल्का पटवारी धनश्यामसिंह के द्वारा तैयार की गयी मौका फर्द रिपोर्ट का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता हैं कि हल्का पटवारी ने कब्जे की जांच के बगैर रिपोर्ट तैयार की तथा उन्होंने मूल खातेदार खसरा नंबर 524/306 के खातेदार विप्रार्थी गौतमचंद को सुना नही गया, न ही उसे इस संबंध में सूचित किया, न ही अन्य पाड़ोसी खातेदारान के रूबरू मौका रिपोर्ट बनायी गयी, हल्का पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट पेश कर दी गयी जिसके आधार पर उपखण्ड अधिकारी से आदेश पारित करवा दिया तथा उक्त उपखण्ड अधिकारी द्वारा तरमीम दुरुस्ती के आदेश नही था जिसकी शिकायत जिलाधीश बाड़मेर को करने पर उपखंड अधिकारी व उप तहसीलदार जसोल व हल्का पटवारी द्वारा की गयी कार्यवाही की पूर्ण जांच करवायी, जिसमें पाया गया कि हल्का पटवारी द्वारा की गयी कार्यवाहियां नियम विरूद्ध व राजस्व रेकर्ड से छेड़छाड़ का अपराध पाया गया जिसके आधार पर जिला कलक्टर बाड़मेर ने हल्का पटवारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आरोप पत्र जारी किया गया। उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के आदेश को अपीलीय न्यायालय द्वारा अपास्त किया जा चुका है। खसरा नंबर 524/306 रकबा 37.12 बीघा पूर्व राजस्व रेकर्ड अनुसार मौके पर सही था जिस पर गौतमचंद का कब्जा काश्त था जिसकी फसल गिरदावरी कायम की गयी। विपार्थी गौतमंचद के कब्जा काश्त की गिरदावरी कायम की गयी। विप्रार्थी गौतमचंद के कब्जा काश्त की गिरदावरी स्वयं हल्का पटवारी घनश्यामसिंह के द्वारा उनके कब्जे काश्त के अनुसार मौके पर जाकर बनवायी थी, भूमि की वास्तविक जानकारी होने के उपरांत भी गलत जांच रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पेश की। प्रार्थी लक्ष्मीनारायण व उनके हकपूर्वाधिकारी का कभी खसरा नंबर 524/306 की भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा। प्रार्थी लक्ष्मीनारायण ने गौतमचंद की बहुमुल्य भूमि को हड़प करने की नियत से हल्का पटवारी घनश्यामसिंह से मिलावट कर राजस्व रेकर्ड में खसरास नंबर 524/306 रकबा 37.12 बीघा बिना किसी आदेश के राजस्व नक्शे से हटा दिया तथा उक्त खसरे को नक्शे में नही दर्शाकर फेरबदल किया गया जो नियम विरूद्ध था खसरा नंबर 524/306 रकबा 37.12 बीघा पर कभी प्रार्थी लक्ष्मीनारायण व उनके हकपूर्वा[illegible] ही कब्जे के संबंध में ऐसा दस्तावेज पत्रावली में पेश किया हैं।

अतः में लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया गया [illegible] राजस्व नक्शे में से जो खसरा नंबर 524/306 की जगह [illegible] पुनः खसरा नंबर 524/306 को पूर्व राजस्व रेकर्ड व नक्शे की स्थिति को पुनः कायम किया जावे कि राजस्व रेकर्ड में पूर्व रेकर्ड माफिक खसरा नंबर 524/306 रकबा 3[illegible] बीघा खातेदार गौतमचंद के नाम से अमल दरामद करें।

उप तहसीलदार जसोल एवं हल्का पटवारी खेड़ को उक्त विवादित खसरे की वर्तमान मौके पर कब्जे काश्त की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय के द्वारा पत्र संख्या वाद/2022/476 दिनांक 14.06.2022 को तहरीर जारी की गई। उप तहसीलदार जसोल एवं हल्का पटवारी खेड़ द्वारा विवादित भूमि मौका रिपोर्ट तैयार कर अवगत करवाया गया कि मौजा खेड़ के खसरा संख्या 306 में बिला कब्जा 31-13 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, विप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:45:22 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

..ा 1 गौतमचन्द के खसरा नम्बर 524/306 रकबा 37–12 बीघा भूमि नक्शें में तरमीम सुदा एवंम मौके पर उक्त भूमि वर्तमान में खाली है। एवं वर्तमान समय में विवादरहित है। तथा प्रार्थी लक्ष्मीनारायण के खसरा नम्बर 1231/306 रकबा 20–15 बीघा भूमि नक्शे में तरमीम सुदा है। एवं उसी अनुसार मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है तथा वक्त खरीद से प्रार्थी का कब्जा है। प्रमाण स्वरूप खसरा नम्बर 524/306, 1231/306, व मूल खसरा नम्बर 306 की जमाबंदी व नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई। तहसील पचपदरा को ऑनलाईन करते समय डीआरएलएमपी के तहत राजस्व रेकर्ड में उभय पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार तरमीम की जा चुकी है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन किया गया बाद अवलोकन यह पाया गया कि उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के आदेश संख्या राजस्व/10/400 दिनांक 09.09.2010 द्वारा खसरा नम्बर 1231/306 रकबा 20–15 बीघा भूमि नक्शे में तरमीम दुरूस्ती की गई थी। जिसके विरूद्व विप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर अपील संख्या 17/2013 अनवान गौतमचंद बनाम लक्ष्मीनारायण प्रस्तुत की गई माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा उक्त अपील को दिनांक 02.02.2016 **स्वीकार करते हुए** उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के आदेश दिनांक 09.09.2010 को निरस्त कर इस न्यायालय को पुनःप्रेषित कर निर्देश प्रदान किये गये कि फाईन्डिग में दिये गये तथ्यों पर विवेचन कर प्रभावित तथा सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 मे दिये गये प्रावधानों का पालन कर पुनः आदेश पारित करे। उक्त अपील में पारित निर्णय दिनांक 02.02.2016 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष अपील एलआर/905/2016 बाड़मेर अनवान लक्ष्मीनारायण बनाम गौतमचंद प्रस्तुत की गई जिसे दिनांक 20.09.2017 को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय को पुनः प्रेषित कर निर्देश प्रदान किये गये कि नये सिरे से विवादित आराजी के संबंधी समस्त प्रभावित पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिक प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार निस्तारण करे।

उप तहसीलदार जसोल एवं हल्का पटवारी खेड़ द्वारा विवादित भूमि मौका रिपोर्ट तैयार कर अवगत करवाया गया कि मौजा खेड़ के खसरा संख्या 306 में बिला कब्जा 31–13 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, विप्रार्थी संख्या 1 गौतमचन्द के खसरा नम्बर 524/306 रकबा 37–12 बीघा भूमि नक्शें में तरमीम सुदा है, एवंम मौके पर उक्त भूमि वर्तमान में खाली है। एवं वर्तमान समय में विवादरहित है। तथा प्रार्थी लक्ष्मीनारायण के खसरा नम्बर 1231/306 रकबा 20–15 बीघा भूमि नक्शे में तरमीम सुदा है। एवं उसी अनुसार मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है, उप तहसीलदार जसोल एवं हल्का पटवारी खेड़ द्वारा विवादित भूमि मौका रिपोर्ट में प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1231/306 रकबा 20–15 बीघा भूमि नक्शे में जहां पर पुख्ता तरमीम की गई, उसके मुताबिक ही प्रार्थी का कब्जा काश्त व वक्त खरीद से प्रार्थी काबिज होना पाया गया है। विप्रार्थी संख्या 1 गौतमचन्द के खसरा नम्बर 524/306 रकबा 37–12 बीघा भूमि नक्शें में तरमीम सुदा है, लट्ठा ट्रेस में राजस्व कर्मचारियों द्वारा पूर्व में मौका मुआयना कर कब्जे काश्त के मुताबिक तरमीम की गई, दिनांक 17.06.2022 को उप–तहसीलदार जसोज व वर्तमान हल्का पटवारी खेड़ की मौका व जांच रिपोर्ट से भी मौके की स्थिति के सत्यता की पूर्ण रूप से पुष्टि करते है। तथा विप्रार्थी सं. 1 द्वारा कृषि भूमि खसरा सं. 524/306 रकबा 37 बीघा 12 विस्वा का कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनार्थ भूमि संपरिवर्तन के लिये सक्षम अधिकारी तहसीलदार, पचपदरा के समक्ष [illegible] था, जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा समूचित प्रक्रिया विधि के अनुसार कार्यवाही [illegible] जांच [illegible] पर विप्रार्थी सं. 1 का मौके पर कब्जा नही होना पाया [illegible] संपरिवर्तन की कार्यवाही को ड्रोप की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:45:22 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना –पत्र का विप्रार्थीगण संख्या 2 ता 10 व [illegible] 26, 27, 28 व 29, 30 व 31 के द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी खसरा नम्बर 306 में जो तरमीम की गई है, उभय पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार ही है, उसे यथावत रखे जाने का आग्रह किया गया है। साथ ही विप्रार्थीगण के द्वारा अपने कब्जे काश्त अनुसार ही मौके पर तरमीम किया जाना जाहिर किया गया, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करने का निवेदन किया गया है,एवं मौके पर खेत खसरा नम्बर 1231/306 का रकबा 20–15 बीघा ही उपलब्ध है, और इसके पास उतर दिशा में खेत खसरा नम्बर 1779/306 व 643/306, दक्षिण दिशा में खसरा

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

नम्बर 528/306, पूर्व दिशा में 1229/306व 1232/306 एवं पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 1247/306 का मौके पर अपनी-अपनी भूमि पर काबिज है, मौके पर कब्जे काश्त के संबंध में ...र्थी के द्वारा प्रस्तुत गूगल सेटेलाईट नक्शे के अनुसार खसरा नम्बर 1231/306 के पास में कोई भूमि खाली नहीं है, न ही उसके लगती भूमि पर विप्रार्थी संख्या 1 का मौके पर कब्जा काश्त है।ऐसी स्थिति में यदि तरमीम दुरूस्ती किये जाने पर मौके पर काबिज प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण की भी भूमि के कब्जे व काश्त मौके की स्थिति के विपरित तरमीम होगी जिसके कारण भारी विरोधाभाष होने की सम्भावना है, जिससे अनावश्यक पेचींदिगिया अधिक बढेगी, और मुकदमें बाजी में भी बिना किसी कारण के वृदि होगी। उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी खेत खसरा नम्बर 1231/306 रकबा 20-15 बीघा एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 31 की भूमि नक्शे में जहां पर पुख्ता तरमीम की गई, उसमें किसी प्रकार का रद्धोबदल किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त तमाम वाक्यात एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर किये गये संमग्र विवेचन एवं विधि में प्रावधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर उप तहसीलदार जसोल एवं हल्का पटवारी खेड़ की मौका रिपोर्ट एवं विप्रार्थी संख्या 2 ता 10, 25, 29,30, 31 के द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1231/306 रकबा 20-15 बीघा भूमि नक्शे में जहां पर पुख्ता तरमीम की गई, उसके मुताबिक ही प्रार्थी का कब्जा काश्त व वक्त खरीद से प्रार्थी काबिज होना पाया गया है। विप्रार्थी संख्या 1 गौतमचन्द के खसरा नम्बर 524/306 रकबा 37-12 बीघा भूमि नक्शें में तरमीम सुदा है, विप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ता 10 व 25 व 26, 27, 28 व 29, 30 व 31 के द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी उभय पक्षकारान के मौके पर माफिक कब्जे काश्त अनुसार तरमीम की हुई है, उक्त तरमीम यथावत रखने का आग्रह किया गया है, इससे भी यह पुष्टि होती है कि प्रार्थी के मौके पर कब्जे काश्त अनुसार ही तरमीम की हुई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी खेत खसरा नम्बर 1231/306 रकबा 20-15 बीघा भूमि एवं विप्रार्थी संख्या 1 गौतमचन्द के खसरा नम्बर 524/306 रकबा 37-12 बीघा भूमि की लट्टा ट्रेस नक्शें में तरमीम सुदा भूमि की जहां पर पुख्ता तरमीम की गई, उपरोक्तानुसार उभय पक्षकारान के माफिक कब्जे काश्त के मुताबिक ही पुख्ता की गई तरमीम में किसी प्रकार का दुरूस्ती/रद्धोबदल किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से राजस्व रेकर्ड में की गई तरमीम की पुष्ठी की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

(महेश सोनी)
भूअभिलेख अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 15.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:45:22 IST
Reason: SelfAttested